अनुदान संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 61 - MINISTY OF INFORMATION AND BROADCASTING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4303,71,00	4567,71,00	4261,67,33	-306,03,67
पूरक	Supplementary	264,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				132,74,06
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	38,84,00	61,87,00	45,10,32	-16,76,68
पूरक	Supplementary	23,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				52,39

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹30603.67 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹26400.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹30603.67 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹26400.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat-Social Services					
मू.	O.	11718.00		11219.67	10947.70	-271.97
पु.	R.	-498.33				
मुख्य शीर्ष "2220" सूचना और प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity					
मू.	O.	108923.00				
पू.	S.	26399.00		154490.55	147315.21	-7175.34
पु.	R.	19168.55				
मुख्य शीर्ष "2221" प्रसारण	Major Head "2221" Broadcasting					
मू.	O.	295994.00		272483.00	264145.43	-8337.57
पु.	R.	-23511.00				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	10043.00		1445.00	..	-1445.00
पु.	R.	-8598.00				

(I) ₹10043.01 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹9993.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹10043.01 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹9993.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण – फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार" – ₹3500.00 लाख;

(A) "Films - Production of Films - Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)" - ₹3500.00 lakhs;

(खा) "अन्य (सूचना और प्रचार) – विज्ञापन और दृश्य प्रचार – विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" – ₹1493.00 लाख; और

(गा) "सामान्य (प्रसारण) – प्रसार भारती को अनुदान – प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" – ₹5000.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि के अभ्यर्पित के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय" के अंतर्गत ₹521.77 लाख की बचत (₹8782.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम दावों की प्राप्ति और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "फ़िल्में – फ़िल्मों का निर्माण" –

(क) "भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे" – ₹1400.00 लाख की बचत (₹8711.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 2 नए स्टूडियो के निर्माण के अनुमोदन में देरी होने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(ख) "सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता" – ₹2845.00 लाख की बचत (₹8145.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश परिसर में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(B) "Others (Information and Publicity) - Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - ₹1493.00 lakhs; and

(C) "General (Broadcasting) - Grants to Prasar Bharati - Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - ₹5000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Information and Broadcasting" - saving of ₹521.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8782.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims and less tours undertaken.

(III) Under Major Head "2220" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Films - Production of Films" -

(a) "Film and Television Institute of India, Pune" - saving of ₹1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8711.00 lakhs) was due to delay in approval of construction of 2 new studios and non-filling up of vacant posts.

(b) "Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata" - saving of ₹2845.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8145.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and slow progress of work at Satyajit Ray Film Television Institute, Arunachal Pradesh campus by CPWD.

(खा) "अन्य" –

(क) "विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार – केन्द्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)" – ₹983.83 लाख की बचत (₹20011.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा मीडिया एजेंसियों से कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "प्रेस सूचना सेवाएँ" –

(i) "प्रेस सूचना ब्यूरो" – ₹1184.98 लाख की बचत (₹11881.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और क्षेत्रीय कार्यालयों में नवीनीकरण कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(ii) "अन्य मदें" – ₹644.17 लाख की बचत (₹1564.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूएनआई की याचिका न्यायाधीन होने, परिषद की बैठक आयोजित न किए जाने तथा वेतन के लिए कम निधियां की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "प्रकाशन – प्रकाशन विभाग" – ₹528.68 लाख की बचत (₹5167.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने तथा राज्य सरकार से कम बिलों और प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2221" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "सामान्य – प्रसार भारती को अनुदान" –

(क) "प्रसार भारती" – ₹8217.50 लाख की बचत (₹250994.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान तुलना में)

(B) "Others" -

(a) "Advertising and Visual Publicity - Central Bureau of Communication (CBC) (erstwhile BOC)" - saving of ₹983.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20011.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less bills from media agencies.

(b) "Press Information Services" -

(i) "Press Information Bureau" - saving of ₹1184.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11881.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-completion of renovation work in regional offices.

(ii) "Other Items" - saving of ₹644.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1564.00 lakhs) was due to UNI petition being under sub juice, non-conduction of council meeting and requirement of less funds towards salaries.

(c) "Publications - Publications Division - saving of ₹528.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5167.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less bills and proposals from State Government.

(IV) Under Major Head "2221" - savings occurred under the following heads:-

(A) "General - Grants to Prasar Bharati" -

(a) "Prasar Bharati" - saving of ₹8217.50 lakhs (against the sanctioned provision of

उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई।

(ख) "प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास" – ₹23631.07 लाख की बचत (₹45000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक निविदाओं का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹500.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹12716.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2220" – "फिल्में – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – राष्ट्रीय एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र – विस्तारित वास्तविकता" के तहत ₹26399.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "फिल्में – फिल्मों का निर्माण – फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार" – ₹922.08 लाख का अधिक व्यय (₹28924.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फिल्म सामग्री के डिजिटलीकरण, 55वें आईएफएफआई और प्रथम वेव्स के आयोजन और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों के पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "अन्य" –

(क) "जनसंचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण – भारतीय जनसंचार संस्थान" – ₹2861.77 लाख का अधिक व्यय (₹5469.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

₹250994.00 lakhs) was due to retirement of officials on higher posts.

(b) "Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - saving of ₹23631.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45000.00 lakhs) was due to non-materialisation of more tenders.

(V) Under one head saving of ₹500.00 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹12716.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹26399.00 lakhs under Major Heads "2220" - "Films - Assistance to Public Sector & Other Undertakings - National Centre of Excellence for Animation, Visual Effect, Gaming and Comics-extended Reality (NCoE AVGC-XR)".

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head "2220" - under the following heads "-

(A) "Films - Production of Films - Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)"- excess of ₹922.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28924.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards digitization of film content, organizing 55th IFFI and 1st WAVES and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Others" -

(a) "Research and Training in Mass Communication - Indian Institute of Mass Communication" - excess of ₹2861.77

तुलना में) आईआईएमसी, अमरावती में स्थायी परिसर के निर्माण और आईआईएमसी, नई दिल्ली में अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹5469.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of permanent campus at IIMC, Amravati and construction of additional building at IIMC, New Delhi

(ख) "विज्ञापन और दृश्य प्रचार – विकास, संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" – ₹3336.36 लाख का अधिक व्यय (₹13438.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीसीआईडी योजना के तहत भारत घटक के लिए डिजिटल आउटरीच के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - excess of ₹3336.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13438.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Digital Outreach for Bharat Component under DCID Scheme and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹314.68 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 70 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹314.68 lakhs occurred constituting 70 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदानों के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1676.68 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2303.00 लाख के पूरक अनुदान का 73 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grants, the overall savings (₹1676.68 lakhs) constituted 73 percent of the supplementary grants of ₹2303.00 lakhs obtained in December, 2024 and 27 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4220" सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4220" Capital Outlay on Information and Publicity				
मू.	O.	3884.00			
पू.	S.	2303.00	6134.61	4510.32	-1624.29
पु.	R.	-52.39			

(I) ₹21.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹21.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) "अन्य – निदेशन और प्रशासन – सचिवालय" के अंतर्गत ₹200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1862.50 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2062.50 लाख कर दिया गया, तथापि, जो सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के नवीकरण के पूरा न होने के कारण ₹1523.64 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(II) Under "Others - Direction and Administration - Secretariat" - the original provision of ₹200.00 lakhs was augmented to ₹2062.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1862.50 lakhs, which, however, remained unutilized to the extent of ₹1523.64 lakhs - due to non-completion of renovation of Siri Fort Auditorium Complex, New Delhi.